Toppersnotes
Unleash the topper in you

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल

भाग – 1

भारत का इतिहास,
महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान

SIERRA INNOVATIONS

RAJASTHAN POLICE CONSTABLE

भारत का इतिहास, महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बंधित कानूनी प्रावधान

भारत का इतिहास

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचीन इतिहास	1
	• सिन्धु घाटी सभ्यता	3
	• वैदिक काल	7
	• बौद्ध धर्म	11
	• जैन धर्म	13
	• महाजनपद काल	14
	• मौर्य वंश	16
	• गुप्त वंश	19
	• वर्धन वंश	24
	• दक्षिण भारत के राज्य	26
	• विजयनगर व बहमनी साम्राज्य	28
2.	मध्यकालीन भारत	
	• सल्तनत काल	30
	• मुगल काल	36
	• भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	42
3.	आधुनिक भारत का इतिहास	
	• अंग्रेजो की भू–राजस्व पद्धतियाँ	44
	• गवर्नर जनरल एवं वायसराय	46
	• 1857 की क्रांति	53
	• प्रमुख आन्दोलन	54
	• कांग्रेस अधिवेशन	58
	• भारतीय क्रांतिकारी संगठन	69
	• अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ	71

	राजव्यवस्था	
4.	भारतीय संविधान • भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास • संविधान के भाग • अनुसूचियाँ • भाग – 5 संघ (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति) • लोकसभा • न्यायपालिका • भाग – 6 राज्य • संविधान संशोधन • भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य	 80 84 97 99 104 109 111 118 120
	भारत का भूगोल	
5.	भारत का विस्तार	127
6.	भारत के भौगोलिक भू–भाग	131
7.	भारत का अपवाह तंत्र	138
8.	भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ	145
9.	जैव विविधता	149
10.	भारत की वनस्पति व वन्य जीव	153
11.	भारत की मिट्टी/मृदा	167
12.	जलवायु	168
13.	भारत में खनिजों का वितरण	170
14.	भारत के प्रमुख उद्योग	174
15.	पर्यटन	177
16.	परिवहन	182
17.	कृषि	186
18.	ऊर्जा संसाधन	189
19.	भौतिक भूगोल	192
20.	राष्ट्रीय आय	197

21.	बैंकिंग प्रणाली, पंचवर्षीय योजना व मानव विकास रिपोर्ट	202
22.	विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य	209
	अन्य सामान्य ज्ञान	
23.	भारत के प्रमुख बांध	233
24.	भारत के पक्षी अभयारण	234
25.	भारत की जनसंख्या	234
26.	अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं	236
27.	भारत के राष्ट्रपति	236
28.	भारत के प्रधानमंत्री	237
29.	लोकसभा अध्यक्ष	237
30.	प्रमुख उच्च न्यायालय	238
31.	केंद्रीय मंत्रिपरिषद्	239
32.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह	242
33.	महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनके सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/नियमों की जानकारी	244

प्राचीन इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन ।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है ।
- ग्रीका विद्वान हैरोडोट्स ने इतिहास की प्रथम पुस्तक "हिस्टोरिका" लिखी ।
- हैरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है ।
- इतिहास को जानने के लिए निम्न स्त्रोत है ।
  1. पुरातात्विक स्त्रोत
  2. साहित्य स्त्रोत
  3. विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत

अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम निम्न प्रकार बांट सकते है ।

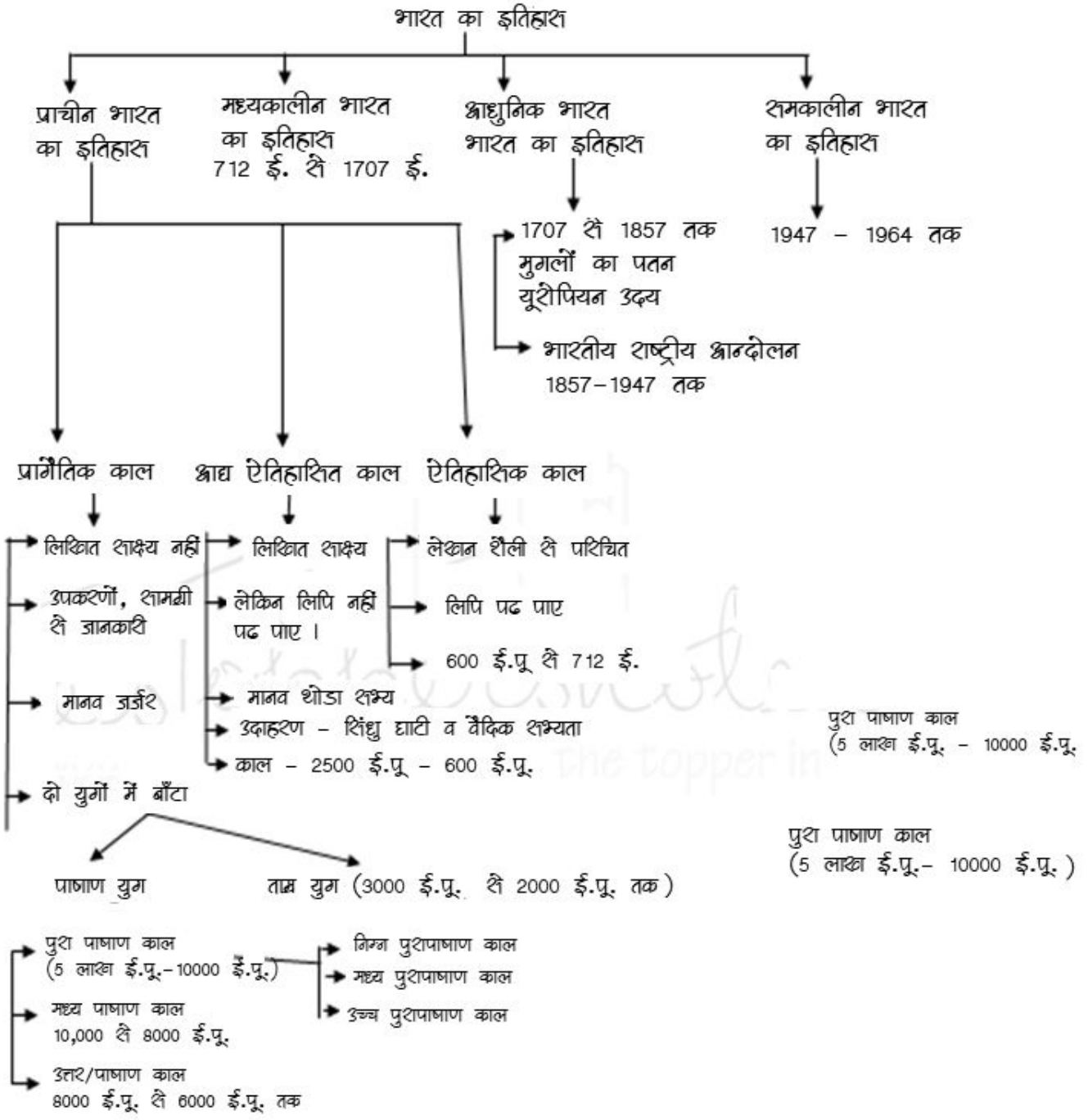

पुरापाषाण काल

- आधुनिक मानव होमो सैपिनियंस का उदय ।
- मानव आग जलाना ।
- इस काल में चापर – चौपिंग संस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय संस्कृति है ।
- दक्षिण भारत की संस्कृति हैण्ड – एक्स संस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की ।
- चापर-चौपिंग एवं हैण्ड एक्स संस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलन स्थल चौतरान (जम्मू कश्मीर) है ।

प्रमुख स्थल

भीम बेटका – शैला शील चित्रों के प्रसिद्ध, डीडवाना (राजस्थान); हथनौरा

मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते है । छोटे – छोटे पाषाण उपकरणों के कारण ।
- भारत में इस काल का जनक HCL क्लाईल ।
- मानव न इस काल में सर्वप्रर्थम पशु पालन करना सीखा ।
- पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है । बागौर (राजस्थान) एवं आदमगढ (MP)
- मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल सराय नाहर यूपी है ।

उत्तर/नव पाषाण काल

- सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया ।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को ''नव पाषाणिक क्रांति'' कहा ।
- ली मेंसियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- नेविलियन फ्रेंजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे ।
- मानव ने कृषि करना सीखा ।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिले ।

प्रमुख स्थल

1. मेहरगढ (पाक) – नव पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल
   8000 BC पूर्व कृषि के साथ साक्ष्य मिले ।
2. कोल्डी हवा – (यूपी) – 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के साक्ष्य मिले ।
3. बुर्जहोम एवं गुफ्फकराल (J&K) बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले है ।

नोट –

प्रागऐतिहासिक काल के जनक भारत में डा. प्राइम रोज थे । जिन्होने लिंगसुगुर (कर्नाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे । नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल रागी थी ।

सिन्धु घाटी सभ्यता

परिचय

हड़प्पा सभ्यता

- चार्ल्स मेसन – 1826 ई. सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया ।
- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन – 1856 ई हड़प्पा नगर का सर्वे किया ।
- कनिंघम इस ओर ध्यान दिलाया कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है ।
- 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया ।
- सर्वप्रथम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हड़प्पा सभ्यता कहलाया ।

अन्य नाम

सिंधु घाटी सभ्यता
सरस्वती नदी घाटी सभ्यता
कांस्य युगीन सभ्यता
नगरीय सभ्यता

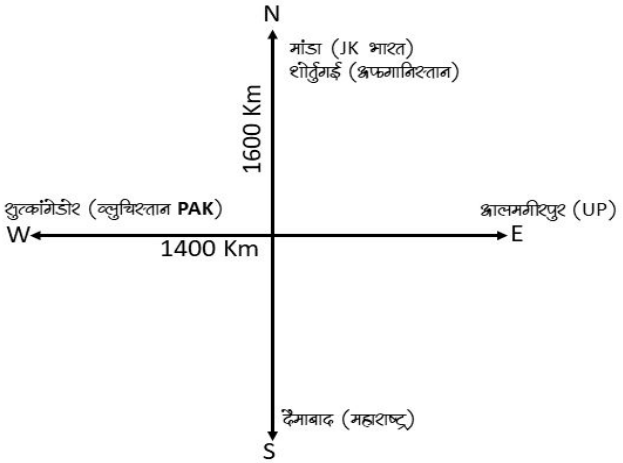

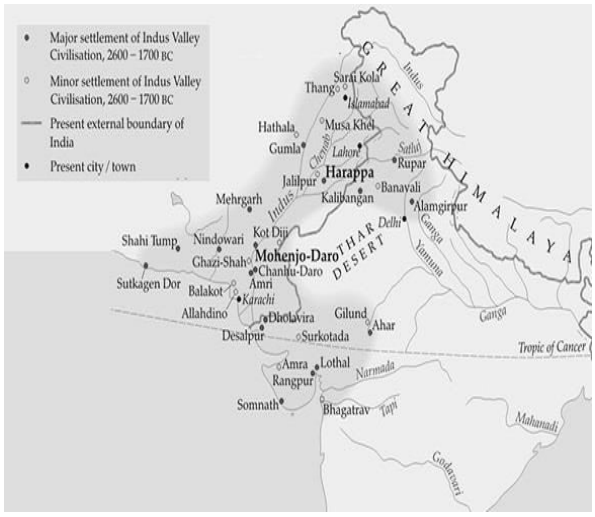

1300 किमी समुद्री सीमा

नोट

- अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र दो स्थल थे । शार्तगोई एवं मुंडीगॉक है ।
- शार्तगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले है
- सिंधु घाटी सभ्यता मिश्र एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता से 12 गुना बडी थी । जबकि मिश्र की सभ्यता से 20 गुना बडी थी ।
- आजादी से पूर्व खोजे समस्त स्थल पाकिस्तान में चले गये । भारत में केवल दो स्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और कोटला निहंगखां (रोपड पंजाब)
- भारत का सबसे बडा स्थल राखीगढी (हरियाणा) है, दूसरा बडा स्थल धौला वीरा (गुजरात) है ।
- पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदडो को सिन्धु सभ्यता की जुँडवा राजधानी बताया है ।
- बडे नगर (पाकिस्तान)
  - गनेडीवाल
  - हड़प्पा
  - मोहनजोदडों

कालक्रम

जॉन मार्शल – 3250 ईसा पूर्व – 2750 ईसा पूर्व
माधोस्वरूप वत्स – 3500 ईसा पूर्व – 2700 ईसा पूर्व
रेडियो कार्बन पद्धति – 2300 ईसा पूर्व – 1750 ईसा पूर्व
एनसीआरटी – 2500 ईसा पूर्व – 1750 ईसा पूर्व
फेयर सर्विस – 2000 ईसा पूर्व – 1500 ईसा पूर्व
अर्नेस्ट मैके – 2800 ईसा पूर्व – 2500 ईसा पूर्व

निवासी

यहां से प्राप्त कंकालों के आधार पर चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है ।

1. भूमध्य सागरीय
2. अल्पाईन
3. मंगोलायड
4. प्रोटो आस्ट्रालायड

सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है ।

नगर नियोजन

- नगर दो भागों में विभाजित – पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग । पश्चिमी भाग दुर्ग था, पूर्वी भाग सामान्य नगर था ।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे । तथापूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहते थे ।
- सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान है ।
- सिन्धु घाटी के समकालीन सभ्यताओ मे इस विशेषता का अभाव ।
- नगर परकोटे युक्त होते थे ।

- घरों के दरवाजे मुख्य सडक की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे । केवल लोथल में मुख्य सडक की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे ।
- कालीबंगा दोहरे परकोटे युक्त है । जबकि चन्हुदडो में कोई परकोटा नही ।
- धोलाबीरा तीन भागों में विभक्त है । पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यमा ।
- लोथल एवं सुरकोटडा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनो ही एक ही परकोटे से घिरे हुए है ।
- नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे अर्थात शतरंज के बोर्ड की तरह सभी नगरों को बसाया था । सभी मार्ग समकोण पर काटते थे ।
- सबसे चौडी सडक 10 मीटर (मोहनजोदडो) की मिलती है जो सम्भवतः राजमार्ग रहा होगा ।
- घरो मे उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
- बडी नालियो को ढक कर रखते थे ।
- भवन के अन्दर सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोईघर, 1 विद्यालय स्नानागार एवं कुआं होता था ।
  कच्ची एवं पक्की ईंटो का प्रयोग करते थे ।
  ईंट का आकार - 1 : 2 : 4
  जल निकासी हेतु पक्की ईंटों की नालियां होती थी विश्व की किसी अन्य सभ्यता में पक्की नालियों के साक्ष्य नही मिलते थे ।

प्रमुख नगर

1. हडप्पा

पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले मे स्थित (अब - शाहीवाल जिले मे) रावी नदी के तट पर

- उत्खननकर्ता - दयाराम साहनी
- रावी नदी के तट पर श्रमिको के आवास एवं अन्नागार मिलते हैं ।
- R - 37 नामक कब्रिस्तान मिलता है । एक शव को ताबूत मे दफनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते है ।
- टीले पर निर्मित - व्हीलर ने "माउण्ट A - B" कहा
- शंख का बना बैल 18 वर्ताकार चबूतरे मिले है ।
- यहां से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है ।
- 6 - 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला आवास स्थल मिला है ।
- एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है । सम्भवतः उर्वरता की देवी होगी ।

2. मोहनजोदडो

स्थिति = लरकाना (सिन्ध, PAK)
सिन्धु नदी के तट पर
उत्खननकर्ता = राखालदास बनर्जी
मोहनजोदडो का शाब्दिक अर्थ = मृतकों का टीला (सिन्धी भाषा)

(i) विशाल स्नानागार -
  (a) 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर
  (b) सम्भवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ?
  (c) सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है ।
(ii) विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बडी इमारत है । ल. 45.71×15.23 मीटर चौडी है ।
(iii) महाविद्यालय के साक्ष्य
(iv) सूती कपडे के साक्ष्य
(V) हाथी का कपालखण्ड
(vi) काँसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है ।
(vii) पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है ।
  (a) इसने शॉल ओढ रखी है जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है ।
(viii) यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है ।
(ix) योगी की मूर्ति मिली है ।
(x) आद्य शिव की मूर्ति मिली है ।
(xi) बाढ से पतन के साक्ष्य मिलते है ।
(xii) सर्वाधिक मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता के यहां मिलती है ।

3. लोथल

स्थिति - गुजरात

- भोगवा नदी के किनारे
  उत्खननकर्ता = S. R. राव (रंगनाथ राव)
  → यह एक व्यापारिक नगर था ।

(i) यहाँ से गोदीवाडा (Dockyard) मिलता है
  (a) यह सिन्धु घाटी सभ्यता की सबसे बडी कृति है ।
(ii) मनके (Bead) बनाने का कारखाना
(iii) चावल के साक्ष्य
(iv) फारस की मुहर जो गोलाकार बटनुमा है
(v) घोडे की मृण्मूर्तियाँ
(vi) चक्की के दो पाट
(vii) घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते है (एकमात्र)
(viii) छोटे दिशा सूचक यंत्र

4. सुरकोटडा / सुरकोटदा

स्थिति = गुजरात

(i) घोडे की हड्डियाँ

- सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगो को घोडे का ज्ञान नहीं था ।

5. रोजदी (गुजरात)

हाथी के साक्ष्य

6. रोपड (PB)

मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य

7. धौलावीरा

गुजरात – कच्छ जिला (किसी नदी तट पर नहीं)

उत्खननकर्त्ता – रविन्द्र सिंह विष्ट (1990 में)

- यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया
- कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य । संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे । (दुर्गाभाग, मध्यम नगर, निचला)
- यह नगर 3 भागों में बंटा हुआ था ।
- स्टेडियम एवं सूचना पट्ट के अवशेष मिलते है (खेल का मैदान)

8. चन्हुदडों

उत्खननकर्त्ता – एन. मजूमदार (डाकूओं ने हत्या कर दी) – अर्नेस्ट मैके

- मनके बनाने के कारखाने (मणिकारी), मुहर बनाने का काम आदि ।
- औद्योगिक नगर
- झाकर एवं झुकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते है ।
- कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह है ।
- एक सौन्दर्य पेटिका मिली है । जिसमें एक लिपिस्टिक है ।

कालीबंगा:–

अवस्थिति– हनुमानगढ

नदी–घग्घर/सरस्वती/दृषद्धती/चौतांग

उत्खननकर्ता– अमलानन्द घोष (1952)अन्य सहयोगी– बी. बी. लाल बी. के. थापर जे. पी. जोशी एम. डी. खरे

शाब्दिक अर्थ– काली चुडिया (पंजाबी भाषा का शब्द)

उपनाम– दीन हीन बस्ती– कच्ची ईटों के मकान ।

सामग्री

- सात अग्नि वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिले है ।
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए ।
- एक मानव कपाल खण्ड मिला है, जिसे मस्तिष्क शो घन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है ।
- जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते है (एकमात्र स्थान) एक साथ दो फसले, उगाया करते थे, जौ एवं सरसों
- मकान कच्ची ईटों के थे बल्लियो की छत होती थी
- जल निकाली हेतु लकडी की नालियों के साक्ष्य मिले है अर्थात सुदृढ जल निकासी व्यवस्था नही थी ।
- ईटों को धूप से पकाया जाता था ।
- वृताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुद्रे (मैसोपोटामिया) मिली है ।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले है जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएँ खीची गई है ।
- यहां से एक खिलौना गाडी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिली है।
- यहां से बैल व वाराहसिंहा के अस्थि अवशेष मिले है।
- यहां का नगर अन्य हडप्पा स्थलों की तरह ही है, लेकिन यहां गढी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त है।
- यहां उत्खनन में पांच स्तर प्राप्त हुए है प्रथम दो स्तर प्राक हडप्पा कालीन है । अन्य तीन स्तर समकालीन हडप्पा है
- यहां प्राचीनतम भूकम्प के साक्ष्य प्राप्त होते है ।
- इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यह हडप्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है ।
- यहां एक कब्रिस्तान मिला है जिसे यहां के लोगों की शवाधान पद्धति की जानकारी भी मिलती है।

हडप्पा लिपि

- लगभग 64 मूल चिह्न व 400 तक अक्षर
- इन्हें लिपि का ज्ञान था
- दायीं से बायीं ओर लिखते थे ।
- गोमूत्राक्षर लिपि एवं भाव-चित्रात्मक लिपि थी ।
- 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे ।

भारतीय भूगोल (Indian Geography)

भारत का विस्तार

- भारत एक विशाल देश है । इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा की गई है यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिन्द महासागर से जुडा है ।
- भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्द्ध एवं पूर्वी देशांतर मध्य में है ।
- भारत की आकृति चतुष्कोणीय है ।
- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4 से 37°6 उत्तरी गोलार्ध में है ।
- अक्षांश कि दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्द्ध का देश तथा देशान्तर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्द्ध के मध्य में है ।
- देशांतरीय विस्तार 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर में है ।
- भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है।

विश्व में स्थान	देश का नाम	
	क्षेत्रफल के अनुसार	जनसंख्या के अनुसार
प्रथम	रूस	चीन
द्वितीय	कनाडा	भारत
तृतीय	चीन	यू.एस.ए
चतुर्थ	यू. एस. ए.	इंडोनेशिया
पंचम	ब्राजील	ब्राजील
षष्ठ	ऑस्ट्रेलिया	पाकिस्ताान
सप्तम	भारत	नाईजीरिया
अष्टम	अर्जेनटीना	बांग्लादेश

भारत के पाँच शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1.	राजस्थान	3,42,239
2.	मध्यप्रदेश	3,08,000
3.	महाराष्ट्र	3,07,713
4.	उत्तरप्रदेश	2,40,928
5.	आन्ध्रप्रदेश	1,60,205

भारत के शीर्ष क्षेत्रफल वाले 5 जिले

क्र.सं.	जिला	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1.	लद्दाख	जम्मू–कश्मीर	97,776
2.	कच्छ	गुजरात	45,652
3.	लेह	जम्मू–कश्मीर	45,652
4.	जैसलमेर	राजस्थान	39,313
5.	बाडमेर	राजस्थान	28,387

- भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जोकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है ।
- भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है ।
- उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किमी है ।
- भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगु (किबिथू) है।
- सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गोरमाता सक्रिय (कच्छ जिला) में है ।
- सबसे उत्तरी बिन्दु इन्द्रा कॉल है, जो कि केन्द्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है ।
- सबसे दक्षिणतम बिन्दु इन्दिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इन्दिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किमी है ।
- प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में केप कोमोरिन (कन्याकुमारी) में स्थित है।
- भारत की स्थल सीमा की लम्बाई 15200 किमी है
- तटीय भाग की लम्बाई है 7516 किमी (द्वीप समूह मिलाकर)। केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6100 किमी है ।
- इस प्रकार की कुल सीमा 15200+7516.6 = 22716.6 किमी. लम्बी है ।
- भारतीय मानक समय रेखा 82°30 पूर्वी देशांतर पर है । मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है ।
- देश का मानक समय $82\frac{1^0}{2}$ पूर्वी देशान्तर है जो नैनी (इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश) से गुजरता है ।
  - उत्तर प्रदेश (मिर्जापुर)
  - छत्तीसगढ
  - मध्य प्रदेश
  - आंध्र प्रदेश
  - ओडिशा

- भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.30 घण्टे का है । भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है ।
- सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है ।
  - उत्तराखण्ड
  - हरियाणा
  - दिल्ली
  - हिमाचल प्रदेश
  - राजस्थान
  - मध्य प्रदेश
  - छत्तीसगढ
  - झारखण्ड
  - बिहार

- भारत के कुल 9 राज्य एवं – केन्द्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं।
  - गुजरात
  - महाराष्ट्र
  - गोवा
  - कर्नाटक
  - केरल
  - तमिलनाडु
  - आंध्र प्रदेश
  - उडीसा
  - पश्चिम बंगाल

केन्द्र शासित प्रदेश

- लक्षद्वीप
- अण्डमान निकोबार
- दमन और दीव
- पुदुच्चेरी (पांडिचेरी)

- हिमालय को छूने वाले 9 राज्य व 2 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

राज्य

- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखण्ड
- सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- मणिपुर
- मिजोरम
- त्रिपुरा
- मेघालय
- असम
- पश्चिम बंगाल

केंद्र शासित प्रदेश

- जम्मू कश्मीर
- लेह

- भारत के 8 राज्यों से होकर कक्र रेखा गुजरती है।
  - गुजरात
  - राजस्थान
  - मध्य प्रदेश
  - छत्तीसगढ
  - झारखण्ड
  - पश्चिम बंगाल
  - त्रिपुरा
  - मिजोरम

- भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है ।
- भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है ।
- भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है ।
- भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है ।
- भारत का मासिनराम (मेघालय) में सबसे अधिक वर्षा होती है ।
- भारत के केन्द्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है ।
- अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ।
- हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है ।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ एवं पडोसी देश

- भारत की कुल 15200 किमी सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है ।
- भारत की तटीय सीमा 7516 किमी है जोकि 9 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किमी है ।
- भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं –
  - हरियाणा
  - मध्य प्रदेश
  - झारखण्ड
  - छत्तीसगढ
  - तेलंगाना

- भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा है ।
- भारत की सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है ।
- त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है ।

- भारत के 7 पडोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं –
  - पाकिस्तान – 3323 किमी
  - चीन – 3488 किमी
  - नेपाल – 1751 किमी
  - बांग्लादेश – 4096.7 किमी
  - भूटान – 699 किमी
  - म्यांमार – 1643 किमी
  - अफगानिस्तान – 106 किमी

- भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है ।
- भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है जोकि केवल 80 किमी है ।
- भारत के 2 पडोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुडे हुए हैं।
  1. श्रीलंका
  2. मालद्वीप
- ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमा बनाते हैं।
  - पाकिस्तान
  - बांग्लादेश
  - म्यांमार
- पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं –

राज्य
1. पंजाब
2. राजस्थान
3. गुजरात

केन्द्र शासित प्रदेश
1. जम्मू कश्मीर
2. लेह

- चीन के साथ भारत के 4 राज्य एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं –

राज्य
1. हिमाचल प्रदेश
2. उत्तराखण्ड
3. सिक्किम
4. अरुणाचल प्रदेश

केन्द्र शासित प्रदेश
1. जम्मू कश्मीर
2. लेह

- नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं –
  1. उत्तराखण्ड
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिहार
  4. सिक्किम
  5. पश्चिम बंगाल

- भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं
  1. पश्चिम बंगाल
  2. सिक्किम
  3. अरुणाचल प्रदेश
  4. असम

- म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं –
  1. अरुणाचल प्रदेश
  2. नागालैण्ड
  3. मणिपुर
  4. मिजोरम

अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है – (केवल 80 किमी POK)
- लद्दाख

- पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाडी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलमडरूमध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- मेकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है । यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गयी थी ।
- डूरण्ड रेखा 1893 में सर डूरण्ड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरण्ड रेखा स्थापित की गई थी। परन्तु यह रेखा अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य है ।
- भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त, 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था ।

सीमावर्ती सागर :-
- सीमावर्ती सागर क्षेत्र आधार रेखा से 12nm तक स्थित है ।
- क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है ।

1. संलग्न सागर
   - संलग्न सागर क्षेत्र आधार रेखा से 24nm तक स्थित है ।
   - इस क्षेत्र में भारत के पास वित्तीय अधिकार है ।

2. अनन्य आर्थिक क्षेत्र :-
   - अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200**nm** तक स्थित है ।
   - इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार है तथा यहाँ भारत संसाधनों का दोहन, द्वीप निर्माण तथा अनुसंधान आदि कर सकता है ।
   - उच्च सागर यहाँ सभी देशों का समान अधिकार होता है ।

भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ है जो निम्न प्रकार से है ।

पुर्तगाल के अधीन

क्र.सं.	क्षेत्र	दूरी (वर्ग किमी.)
1.	दादर एवं नगर हवेली	491
2.	दमन एवं दीव	112
3.	गोवा	3702

फ्रांस के अधीन

क्र.सं.	क्षेत्र	दूरी (वर्ग किमी.)
1.	चन्देरनगर	19
2.	पाण्डिचेरी	319
3.	कराईकला	160
4.	माहे	155
5.	यानम	30

महिलाओं एवं बच्चो के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों/नियमो की जानकारी

परिचय :-

(A) महिला

महिलाये भारतीय समाज मे प्राचीन काल से महत्वपूर्ण एवं सम्माननीय रहीं है । प्राचीन काल मे महिलाओ का बहुत सम्मान किया जाता था । और वर्तमान मे भी महिलाये काफी महत्वपूर्ण एवं सम्मानीय है । लेकिन समय के अनुसार उनकी परिस्थितियो मे काफी बदलाव आया है ।

समाज मे कुछ कुप्रथाओ ने महिलाओ को काफी समस्याओ का सामना करने के लिये मजबूर किया है इनमे से कुछ समस्याये वर्तमान मे प्रचलित है तथा कुछ समस्याओ का समापन भी किया जा चुका है । जैसे - सतीप्रथा, बहुविवाह प्रथा इत्यादि ।

दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, हिंसा, घरेलू समस्याये इत्यादि जैसी समस्याओ का महिलाओ को वर्तमान मे सामना करना पड रहा है । इन तमाम समस्याओ के समाधान के लिये नीति निर्माताओ ने कई कानूनी प्रावधान किये है । तथा समाज को सुधारने के लिये कुछ समाज सुधारको को भी इस दिशा मे काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

यदि हम मध्यकालीन भारत के महिलाओ की स्थिति पर थोडी सी नजर डाले तो पता चलता है कि मध्यकालीन भारत मे महिलाओ की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, और व्यावहारिक रूप से काफी खराब थी ।

महिलाओ को देवी का दर्जा देने के बाद भी उनकी हालत किसी राजा-महाराजा की दासी के समान थी

(B) बच्चे :-

बच्चे, चाचा नेहरू के प्यारे, किसे पसंद नहीं होते । बच्चे न सिर्फ हमारे बल्कि वो देश के उज्ज्वल भविष्य होते है । हर एक मा बाप भी पहले किसी के बच्चे होते है । देश के पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर "बाल दिवस" (14 Nov.) मनाया जाता है । बच्चे उनके माँ-बाप के लिये आँखो के तारे है । उनको अपने बच्चो से उज्ज्वल भविष्य की आशा होती है । बच्चे जब युवा होते है, तब वे किसी देश का "मानवीय संसाधन" बनते है । भारत के लिये यह एक खुशहाली का विषय है कि भारत मे जन्म दर अधिक है ।

भारतीय बच्चे एक दूसरे सबसे बडे जनसंख्या वाले देश मे रहने के बावजूद कुछ समस्याओ का सामना कर रहे है । जैसे -

1. बच्चे यदि गरीब परिवार से है, या उनके पिताजी नही है, तो उनको कंधो पर परिवार का खर्चा बढता है । और उन्हे बचपन से कमाना पडता है वे अपने बचपन का ठीक से आनंद नहीं ले पाते है
2. कुछ भारतीय बच्चे कुपोषण का शिकार होते है । देश के 39% बच्चे कुपोषण का शिकार है । जिससे उन्हे काफी बीमारिया होती है ।
3. बच्चो पर समाज एव क्षेत्र का प्रभाव भी पडता है किसी बच्चे को अपने आप को विकसित करने के लिये अच्छे विचारो एव संस्कारो की जरूरत होती है अच्छे विचारो एव संस्कारो वाला बच्चा अपना अच्छा भविष्य बनाने मे कामयाब रहता है । प्रसिद्ध मिसाइल मैन "ए.पी.जे. अब्दुल कलाम" का कहना है कि किसी बच्चे को सिर्फ तीन लोग सुधार सकते है -
   1. मां 2. बाप 3. गुरू

स्वास्थ्य, बीमारियाँ, शिक्षा, शोषण हिंसा इत्यादि समस्याओ का सामना भारतीय बच्चे कर रहे है ।

- महिलाओं के प्रति कुछ प्रमुख अपराधों/समस्याओं की सूची -
  1. बाल विवाह
  2. तेजाब पीडित
  3. घरेल हिंसा
  4. दहेज प्रथा
  5. आत्म हत्या
  6. बलात्कार
  7. अनैतिक व्यापार
  8. कार्यस्थल पर छेडछाड
  9. लैंगिंक उत्पीडन
  10. अत्याचार/संताप देना
  11. गर्भपात की समस्या इत्यादि

➢ भारतीय बच्चो के प्रति कुछ प्रमुख अपराधो/समस्याओं की सूची

1. शोषण की समस्या
2. बाल विवाह
3. बच्चो का संरक्षण
4. शिक्षा
5. स्वास्थ्य समस्या
6. लडकियो के लिये घरेलु काम मे डालना
7. अनाथ की समस्या इत्यादि ।

आइये अब हम महिलओ को दिये जाने वाले कुछ कानूनी अधिकारो पर चर्चा करते है –

1. समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार :

यह एक प्रकार का श्रमिक अधिकार है, जिसके अनुसार एक ही कार्य को करने वाले सभी लोगो को समान वेतन मिलना चाहिये । यहाँ लिंग को लेकर कोइ भेदभाव नहीं किया जायेगा अर्थात् महिला को भी पुरूष के बराबर समान कार्य के लिये सम्मान वेतन मिलेगा ।

कानूनी प्रावधान :- इसके लिये भारतीय संसद ने 1970 मे एक कानून का प्रावधान किया, ''ठेका मजदूर (संचालन एवं उन्मूलन)'' कानून 1970 इसके अनुसार ''अगर कोई ठेकेदार के द्वारा नियुक्त ठेका वर्कर अपने प्रधान नियोक्ता द्वारा नियुक्त वर्कर के बराबर कार्य करता है, तो ठेकेदार के द्वारा काम करने वाले ठेका वर्कर का वेतन, छुट्टी और सेवा शर्ते उस संस्था के प्रधान नियोक्ता के वर्कर के बराबर होगा ।''

2. कार्यस्थल पर उत्पीडन के खिलाफ अधिकार

सामान्य तौर पर महिलाये ऑफिस मे या अन्य संस्थानो पर कार्य करती है । उन्हे कार्य करना भी चाहिये । ''विश्व आर्थिक मंच'' भी एक रिपोर्ट के अनसार चीन और भारत मे महिलाओ के कार्य करने की भागीदारी दर मे काफी अन्तर है । महिलाओ द्वारा किया गया कार्य देश की G.D.P मे काफी योगदान देता है लेकिन भारत मे कुछ ऑफिसो एव अन्य कार्यस्थलो पर महिलाओ को यौन उत्पीडन जैसी अन्य गन्दी समस्याओ का सामना करना पडता है । इस वजह से महिलाये घर से बाहर कार्य करने की इच्छुक नहीं होती है ।

2. कानूनी प्रावधान :-

यौन उत्पीडन की गंभीरता को देखते हुये महिलाओ को कानूनी सहयोग देने और उनके उत्पीडन पर रोक लगाने के लिये भारतीय संसद ने ''कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन (निवारण निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013'' को पारित किया । इसके तहत कार्य स्थल पर लडकियो और महिलाओ के साथ होने वाले उत्पीडन के खिलाफ उन्हे अधिकार प्रदान किया गये है । इस कानून के बनने की नींव राजस्थान के भंवरी देवी काण्ड के बाद से पडी थी ।

3. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार :-

घरेल हिंसा एक बडा मुद्दा है, समाज की अधिकांश महिलाये इस घोर समस्या से पीडित है । घरेलू हिंसा निम्न भागो मे बाँटा जा सकता है ।

जैसे –
(1) शारीरिक हिंसा
(2) लैंगिंक हिंसा
(3) क्रोधिक और भावनात्मक हिंसा
(4) आर्थिक दुरूपयोग
(5) दहेज की समस्या

कानूनी प्रावधान :- उपरोक्त समस्याओ के समाधान के लिये भारतीय संसद ने ''घरेल हिंसा के विरूद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005'' को बनाया । इस अधिनियम से पहले (2005 से पहले) घरेल हिंसा के मामलो को ''भारतीय दण्ड संहिता'' 1860 की धारा 498 A के तहत कार्यवाही होती थी ।

➢ ''घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005'' की धारा 3 के अंतर्गत ''घरेल हिंसा'' की परिभाषा दी गई है । इसके '' शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक दुरूपयोग और दहेज की माँग को शामिल किया गया है ।

4. मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार :-
कानूनी लडाई मे समय, पैसे दोनो लागत है । इसलिये पीडित महिला यदि आर्थिक रूप से कमजोर

है, तो वह कानूनी लडाई अर्थात् वकील का खर्चा नही उठा सकती । लेकिन कानून मे बलात्कार की शिकार हुई किसी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार दिया गया है ।

S.H.O (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के लिये ये जरूरी है कि वो पीडित महिला के लिये मुफ्त कानूनी सहायता के लिये ''विधिक सेवा प्राधिकरण'' (Legal Servies Authority) को वकील की व्यवस्था करे

5. रात मे गिरफ्तारी के विरूद्ध अधिकार

पुलिस महिलाओ को रात मे गिरफ्तार नही कर सकती । सूर्य छिपने के बाद तथा सूर्य के उगने से पहले पुलिस को यदि किसी महिला की गिरफ्तारी करनी है, तो कुछ खास मामलो मे ही ऐसा किया जा सकता है, न कि सामान्य मामलो मे

6. नाम न छापने का अधिकार :-

अक्सर महिलाये अपनी पहचान को उजागर करने से डरती है । वे लाज - लज्जा वाली हद तक को बचाये रखना चाहती है । महिलाओ को यह अधिकार दिया गया है, कि वे चाहे तो अपना नाम छिपाये रख सकती है । यौन उत्पीडन की शिकार महिलाओ को नाम न छापने देने का अधिकार है । महिला अपना भय किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी मे या फिर जिलाधिकारी के सामने अपना नाम दर्ज करवा सकती है ।

7. इण्टरनेट पर सुरक्षा का अधिकार :-

यह अधिकार पुरूष एव महिलाओ दोनो को मिला है । सूचना प्रौधागिकी अधिनियम (IT. Act) की धारा 67 और 66 - ई के अनुसार, बिना किसी भी व्यक्ति की अनुमति के उसके निजी क्षणो की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित या प्रसारित करने को निषेध करती है ।

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 354 - C के तहत किसी महिला की निजी तस्वीर को बिना अनुमति के खींचना या शेयर करना अपराध माना जाता है ।

8. गरिमा और शालीनता के लिये अधिकार :-

भारत जैसे लोकप्रिय देश मे महिलाओ की गरिमा को बनाये रखना सभी का फर्ज है । यदि कोई महिला दोषी है, तो उसकी चिकित्सा किसी दूसरी महिला की उपस्थितियो मे ही होनी चाहिये ।

9. मातृत्व संबधी लाभ का अधिकार :-

मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई मा के प्रसव के बाद 12 सप्ताह (तीन माह) तक महिला के वेतन मे कोइ कटौती नहीं की जाती और वो फिर से कार्य प्रारंभ कर सकती है ।

10. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार :- कभी - कभी बेटे की चाह मे बेटियो की हत्याओं, जन्म से पहले ही गर्भ मे मार देने की घटना खबरो मे आ जाती है । भारतीय संविधान हर नागरिक को ''जीने का अधिकार'' देता है । अजन्मे भ्रूण को भी जीने का अधिकार है । इसके लिये भारत सरकार के ''गर्भाधान और प्रसव के पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम (PCPNDT)'' को बनाया है, । जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है ।

11. सम्पति का अधिकार :-

अधिकांश भारतीय महिलाये इस बात के परिचित नही है, कि उन्हे अपने मा बाप की सम्पति मे बराबर का हिस्सा मिला हुआ है । हिन्द उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 के मुताबिक बेटे और बेटियो को अपने मां - बाप की सम्पति का बराबरी का अधिकार है ।

- महिलाओ द्वारा निम्न प्रकार की हिंसाओ का सामना किया जा रहा है -

1. शारिरिक हिंसा :- भारत मे कुछ महिलाये शारिरिक हिंसा की शिकार है । अक्सर महिलाओं, को उनके पतियो के द्वारा पीटना या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाना जैसी घटनाये खबरो मे सुनने के आती रहती है ।

2. लैंगिक हिंसा :- महिलाओ को लैंगिक हिंसा का सामना करना पडा है । लैंगिक हिंसा समाज

पर एक बहुत बुरा धब्बा है । यह घरेलु और बाहरी दोनो प्रकार की हो सकती है । इस घटना से महिलाये अधिकांश आत्म हत्या को प्राथमिकता देती है ।

3. आर्थिक हिंसा :- चूँकि भारत एक पितृसतात्मक देश है । अधिकांश महिलाये घर के कार्य मे लिप्त रहती है । उनके पास धन रखना उनके लिये एक कठिन समस्या है । दहेज की वजह से महिलाओ को अपनी ससुराल मे काफी ताहने सुनने पडते है । इससे घरो मे हिंसा होती है ।

महिलाओं से सम्बन्धित अपराध, उनके निवारण से संबंधित अधिनियम व कानून संवैधानिक प्रावधान तथा आयोग एवं मत्रालय

1. ''भारतीय दण्ड संहिता 1860'' मे महिलाओं से संबंधित अपराध एवं कानूनी प्रावधान

A. बलात्कार :- (धारा 375-376)

दण्ड संहिता 1860 की धारा 375 से 376 तक बलात्कार के बारे मे बताया गया है । IPC की धारा

375 मे बलात्कार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है ।

- बलात्कार तब माना जायेगा जब -

किसी पुरूष द्वारा किसी महिला की इच्छा (Will) या सहमति (Consent) के विरूद्ध किया गया शारीरिक सम्बन्ध या

जब हत्या या चोट पहुँचाने का भय दिखाकर दबाव मे संभोग के लिये किसी महिला की सहमति हासिल की गई हो ।

18 वर्ष से कम उम्र भी किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के किया गया संभोग

इसमे अपवाद के तौर पर किसी पुरूष द्वारा उसकी पत्नी के साथ किये गये संभोग, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो, को बलात्कार की श्रेणी मे शामिल नही किया जायेगा ।

भारत के बलात्कार को "IPC 1860" मे वर्ष 1960 मे शामिल किया गया ।

धारा 376 मे ''बलात्कार'' के लिये सजा का प्रावधान किया गया है । इसके तहत दोषी को

न्यूनतम सजा 7 साल तथा अधिकतम सजा आजीवन कारावास है ।

- वर्तमान मे बलात्कार से संबंधित कानूनो की प्रकृति :-

दिसम्बर 2012 मे दिल्ली मे हुई बलात्कार की घटना ''निर्भया काण्ड'' ने देश को झकझोर दिया । इस मामले मे बलात्कार व हत्या दोनो ही थे । इस घिनौनी घटना के बाद सरकार ने ''आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया, जिसने बालात्कार की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया तथा इसके अधीन दण्ड के प्रावधानो को कठोर किया ।

इस अधिनियम मे सामूहिक बलात्कार के मामले मे सजा को 10 वर्ष से बढाकर 20 वर्ष या आजीवन कारावास कर दिया गया । इसके तहत किसी लडकी का पीछा (Stalking) करने पर तीन वर्ष की सजा तथा एसिड अटैक (Acid Attack) के मामले मे सजा को दस वर्ष से बढाकर आजीवन कारावास मे बदल दिया ।

नाबालिगों के मामले मे कानून :-

(A) जन. 2018 मे जम्म कश्मीर मे एक बच्ची (8 वर्षीय) के साथ हुये अपहरण, सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले के बाद संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 पारित किया । जिसमे पहली बार यह प्रावधान

किया गया कि 12 वर्ष से कम आय की किसी बच्ची के साथ बलात्कार के मामले मे न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान होगा । 16 वर्ष के कम आय की लडकी के साथ हुये बलात्कार के लिये न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास तथा अधिकतम उम्रकैद होगी । IPC 1860 के तहत बलात्कार के मामले मे न्यूनतम सजा के प्रावधान के सात वर्ष से बढाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया है ।

(B) किसी भिन्न उद्देश्य के लिये "अपहरण करना और भगा ले जाना" (Kidnapping & Abduction) IPC की धारा 363 मे Kidnapping के मामले मे सजा का प्रावधान किया गया है । इसमे सजा को 7 वर्षो तक बढाया जा सकता है । साथ मे जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

इसके अलावा जब Kidnapping अलग – अलग उद्देश्यो के लिये हो, तो अलग–अलग धाराओ के तहत अलग–अलग सजा का प्रावधान किया गया है ।

जैसे –

1. भीख मंगवाने के उद्देश्य से Kidnapping के लिये सजा 10 वर्ष + जुर्माना धारा 363 A
2. हत्या करने के उद्देश्य से Kidnapping जुर्माना . 10 वर्ष की सजा धारा 364 इत्यादि

(C) दहेज के लिये हत्या (धारा 302/304 B)

IPC की धारा 304 *B* मे "दहेज हत्या" को परिभाषित किया है । इसके लिये संसद ने "दहेज निषेध अधिनियम 1961" को पारित किया जिसकी व्याख्या आगे की गई है ।

(D) यातना (Torture) मानसिक व शारीरिक :–

IPC की धारा 498 – A मे शारीरिक व मानसिक यातना (Torture) को परिभाषित किया गया ।

(E) लडकियो का आयात (Importation) :- (उम्र 21 वर्ष तक)

IPC की धारा 366 B "लडकियो के इम्पोर्टेशन" को परिभाषित करता है ।

(F) लैंगिक उत्पीडन : (धारा 509)

IPC की धारा 509 मे लैंगिक उत्पीडन के शब्दो को परिभाषित किया गया है ।

2. "सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987"

सती प्रथा समाज मे महिलाओ के विरूद्ध एक बहुत बुरी कुप्रथा थी । समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने मे काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया

प्रथा के तहत जीवित विधवाओ को उसके पति के साथ उनकी चिता पर जिन्दा जला दिया जाता था । यह प्रथा को 1829 मे विलियक बैंटिक ने कानन पारित करके तथा 1830 तक पूरे भारत से समाप्त कर दी ।

"सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987" को सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 1987 मे लाग किया तथा भारत सरकार ने संघीय स्तर पर इस कानून को 1988 मे लाग कर दिया । इस अधिनियम के अनुसार समाज की कोई महिला सती होने के लिये अपने आप को स्वय बाध्य नही कर सकती है, तथा समाज का कोई व्यक्ति भी किसी महिला को सती होने के लिये बाध्य नही कर सकता है ।

3. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 :–

भारत एक सांस्कृतिक और समाज को अधिक महत्व देने वाला देश है । भारत एक पितृ सत्तात्मक देश होने के बावजूद भी भारत मे महिलाओ को काफी इज्जत दी जाती है । महिलाये भारत जैसे संस्कृति एवं मर्यादा वाले देश की शान है । ऐसे मे वैवाहिक संबंध के बाहर किसी अन्य महिला से यौन सम्बन्ध बनाना अच्छा नही समझा जाता है । वैश्यावृत्ति भी इसके अंतर्गत है । वैश्यावृत्ति का अर्थ है – किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिये लैंगिक शोषण करने को वैश्यावृत्ति कहते है । इस अधिनियम मे वैश्यागृह को भी परिभाषित किया है "वैश्यागृह किसी मकान, कमरे वाहन या स्थान से या उसके किसी भाग से है, जिसमे किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये किसी का लैंगिक शोषण का दुरूपयोग किया जाये या दो या दो से अधिक महिलाओ के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिये वैश्यावृत्ति की जाती है ।"